

श्री रवीन्द्र कुमार, जिलाधिकारी उन्नाव की अध्यक्षता में दिनांक 03.09.2021 को विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुई राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :-

1. श्री राकेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) उन्नाव।
2. श्री चन्दन पटेल नगर मजिस्ट्रेट उन्नाव।
3. श्री दिनेश कुमार, उपजिलाधिकारी, बांगरमऊ।
4. श्री राजेन्द्र कुमार, उपजिलाधिकारी सफीपुर।
5. श्री दयाशंकर, सहायक अभिलेख अधिकारी।
6. श्री अंकित शुक्ला, उपजिलाधिकारी बीघापुर, उन्नाव।
7. श्री आत्मा स्वरूप श्रीवास्तव, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम, उन्नाव।
8. श्री अतुल कुमार, तहसीलदार सदर, उन्नाव।
9. श्री नरेन्द्र कुमार यादव, तहसीलदार पुरवा।
10. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, तहसीलदार सफीपुर।
11. श्रीमती रश्मि सिंह अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वितीय।
12. श्रीतरुण कुमार सिंह तहसीलदार बांगरमऊ।

बैठक में विचार विमर्श व समीक्षा के उपरान्त निम्नवत् निर्देश दिये गये :-

राजस्व वाद

राजस्व वादों का माह अगस्त, 2021 में 25802 वादों के सापेक्ष 3983 वादों का निस्तारण किया गया। माह के अन्त में 878 वाद पाँच वर्ष से अधिक पुराने लम्बित पाये गये। समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 05 वर्ष से अधिक लम्बित वादों का अभियान चलाकर शीघ्र सुनवाई करके उनका निस्तारण किया जाय और पांच वर्ष से अधिक पुराने वादों की संख्या शून्य की जाये। माह अगस्त 2021 में उपजिलाधिकारी सदर उन्नाव 68, उपजिलाधिकारी पुरवा 110, उपजिलाधिकारी सफीपुर 60, उपजिलाधिकारी हसनगंज 55 उपजिलाधिकारी बांगरमऊ 40 उपजिलाधिकारी बीघापुर द्वारा 52 वाद निस्तारित किये गये हैं। सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मानक के अनुसार प्रत्येक दशा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। तहसीलदार न्यायिक सफीपुर, ना०तह० पुरवा, असोहा, हिलौली, सफीपुर, एफ०-84, मोहान, ना०तह० औरास, अजगैन, आसीवन, ना०तह० बीघापुर, ना०तह० सुमेरपुर द्वारा भी लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण नहीं किया गया। निर्देशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

स्टाम्प वाद-

स्टाम्प वाद के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) द्वारा 06 वाद धनराशि 1.62 लाख व सहायक स्टाम्प आयुक्त द्वारा 9 वाद धनराशि 1.25 का निस्तारण किया गया है। निर्देशित किया गया कि लम्बित वादों का विशेषकर पुराने वादों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाये।

(कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी/सहायक आयुक्त स्टाम्प)

122-बी के अन्तर्गत कार्यवाही

इस अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित वादों में 2578 के सापेक्ष कुल 460 वाद निस्तारित किये गये, 2118 वाद अवशेष हैं। सभी तहसीलदारों के न्यायालय में काफी संख्या में वाद लम्बित हैं। निस्तारण की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। निर्देशित किया गया कि व्यक्तिगत ध्यान देकर लम्बित वादों का निस्तारण करते हुए अभियान चलाकर बेदखली की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाये एवं स्थलीय निरीक्षण कर वाद को त्वरित निस्तारित करना सुनिश्चित करे।

राजस्व संहिता के अन्तर्गत अविवादित वरासत

(कार्यवाही- समस्त तहसीलदार)

राजस्व संहिता के अन्तर्गत आलोच्य माह में 1361 मामले दर्ज होने योग्य पाये गये, जिनमें समस्त मामलों में वरासत दर्ज कर उद्धरण खतौनी वितरित की गयी है। निर्देशित किया गया कि लम्बित मामलों का शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें। तहसीलों में वरासत का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि अविवादित वरासत सम्बन्धी कार्य तत्परता से करें। वरासत सम्बन्धी आदेश आर०-6 रजिस्टर पर तो दर्ज हो रहा होगा किन्तु यह भी देख लें कि आदेश आर०-6 से खतौनी पर दर्ज हो रहा है या नहीं।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार)



## राजस्व संहिता के अन्तर्गत अविवादित दाखिल खारिज—

राजस्व संहिता के अन्तर्गत अविवादित दाखिल खारिज के 8438 वादों के सापेक्ष 3234 वादों का निस्तारण किया गया है तथा 67 वाद आपत्ति के कारण विवादित की श्रेणी में आने के कारण माह के अन्त में 5137 वाद निस्तारण हेतु अवशेष हैं। सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि दाखिल खारिज के वादों का निस्तारण समयान्तर्गत सुनिश्चित करें, तथा अमलदरामद भी समय से करा लिया जाये। 45 दिन के बाद अविवादित वाद अवशेष नहीं रहने चाहिए।

(कार्यवाही— समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार व रा0निरीक्षक)

### आवंटन—

कृषि में प्रत्येक तहसील को 2.000 हे० लक्ष्य प्राप्त हुआ किन्तु अभी तक आबंटित नहीं हुआ। जिसमें तहसील बांगरमऊ में एक व्यक्ति का आवंटन हुआ है। शेष तहसीलों में अभी तक आबंटन नहीं हुआ है। आवास स्थल आबंटन हेतु प्रत्येक तहसील को 0.250 हे० चिन्हित की गयी, तहसील उन्नाव, हसनगंज एवं बांगरमऊ द्वारा आवास आवंटन नहीं किया गया। तहसील पुरवा के छोड़कर शेष तहसीलों में मत्स्य पालन हेतु आवंटन की प्रगति शून्य है। तहसील उन्नाव, हसनगंज एवं बांगरमऊ में कुम्हारीकला आवंटन की प्रगति शून्य है। सभी उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को शीघ्र लक्ष्य पूरा करने के निर्देश प्रदान किये गये।

(कार्यवाही— समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार)

### चकमार्ग तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि व तालाब, पोखरो आदि से हटाये गये अतिक्रमण/अवैध कब्जे—

तालाब, पोखरों आदि में अतिक्रमण हटवाने के कुल 1947 मामले प्रकाश में आये हैं, जिनमें से 1945 अवैध कब्जे हटवा दिये गये हैं। गत माह तहसील सदर में 02 अवैध कब्जों को हटवाने हेतु शेष थे जो कि इस माह भी 02 अवैध कब्जे हटवाने हेतु शेष हैं। जो कि अत्यन्त खेदजनक है। उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार सदर को निर्देशित किया गया है कि एक सप्ताह में दोनों कब्जे हटवाना सुनिश्चित करें। सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भविष्य में भी किसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि व तालाब, पोखरों आदि पर अवैध कब्जा न होने पाये।

(कार्यवाही— समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार )

### 122 बी के नियम 115 सी के अन्तर्गत हर्जाना वसूली—

इस मद में कुल 1129 मामलों में 1,81,54,888/- के सापेक्ष 63 मामलों में 2,12,807/- की वसूली की गयी है। वसूली हेतु 10636 मामले व धनराशि मु० 1,79,42,081/- अवशेष हैं। समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि मा० उच्च न्यायालय के आदेशों व शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अवशेष सभी मामलों में बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही— समस्त तहसीलदार)

### वसूली—

मुख्य देय की 43.32 लाख के सापेक्ष 01.24 लाख की वसूली की गयी है। विविध देय की 1961.98 लाख शुद्ध मांग के सापेक्ष 433.99 मासिक संग्रह गत वर्ष के मासिक संग्रह की अपेक्षा कम है। प्रत्येक माह लक्ष्य की पूर्ति की जानी है, इस बाबत समस्त तहसीलदार/उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया गया, एवं खराब वसूली हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार से स्पष्टीकरण लिया जाये।

प्रत्येक दाखिला में पेशी के दौरान नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार समीक्षा करेंगे। आर०सी०/अमीनवार उपजिलाधिकारी स्वयं समीक्षा करें। आर०सी० का मिलान अवश्य कराया जाये। समस्त उपजिलाधिकारी 01 लाख से बड़े बाकदारों की फाइल तैयार करा लें। टॉप-10 के विवरण पत्र में इन्द्रपाल सिंह पुत्र राम औतार साऊखेडा में बकायेदार के विरुद्ध दिनांक 15.03.2021 को गिरफ्तारी पत्र जारी किया गया, किन्तु माह मार्च के बाद किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी इस बाबत तहसीलदार बीघापुर को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी किया जाये। तहसील हसनगंज में आशीष कुमार के विरुद्ध आर०सी० दिनांक 09.03.2020 को जारी किया गया। माह मार्च 2020 के बाद कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तहसील सफीपुर में बकाये दार के विरुद्ध दिनांक 22.02.2021 को गिरफ्तारी पत्र जारी किया गया। माह फरवरी के बाद कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस बाबत तहसीलदार हसनगंज एवं सफीपुर को स्पष्टीकरण जारी किया जाये। स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जायेगी। सभी उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा टॉप-10 अद्यावधिक की जायें। तहसील जाने पर टॉप-10 फाइलें अवश्य देखीं जायेगी।

इसके अतिरिक्त बैठक के समय तहसीलदार सदर एवं बीघापुर द्वारा अवगत कराया गया कि श्री अलख प्रकाश वरिष्ठ सहायक द्वारा शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। इस बाबत श्री अलख प्रकाश की पत्रावली बनाकर पेश की जाये।

(कार्यवाही— अपर जिलाधिकारी/सी०आर०ए०/सामान्य सहायक)



### जालसाली प्रकरण -

निर्देशित किया गया कि समस्त उपजिलाधिकारी अपनी तहसील क्षेत्रान्तर्गत जांच कराये तथा जाल-साजी के प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी)

### आई0जी0आर0एस0 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण-

आई0जी0आर0एस0 के पोर्टल को प्रतिदिन खोलकर देखते रहे, शिकायतें मार्क करने में विलम्ब न किया जाये। लम्बित शिकायतों को समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारित करे किसी भी स्थिति में निर्धारित समयावधि के उपरान्त शिकायतें लम्बित नहीं रहनी चाहिए। शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता सन्तोषजनक नहीं है। शिकायत व उसपर आख्या का सम्यक परिशीलन करके उसपर पूर्णतया सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही आख्या को अनुमोदित किया जाये। लम्बित प्रकरणों में तत्काल ससमय निस्तारण हेतु सम्बन्धित को जिलाधिकारी महोदय के स्तर से पत्र जारी कराया जाये। प्रत्येक बुधवार को खण्ड विकास अधिकारी व शुक्रवार को उपजिलाधिकारी व अधिशाषी अधिकारी बैठक में आते हैं। आई0जी0आर0एस0 के लम्बित प्रकरणों की सूची उक्त बैठक में प्रस्तुत की जाये, ताकि प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जा सके।

(कार्यवाही- प्रभारी अधिकारी शिकायत/समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार)

### रिट याचिकायें-

माह तक मा0 उच्च न्यायालय में 07 प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाना अवशेष है। मा0 उच्च न्यायालय में प्रचलित 06 अवमाननावादों में प्रतिशपथ पत्र नहीं लगाया गया। महाधिवक्ता के वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार 07 वादों के इन्सट्रक्शन/प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने की कार्यवाही की जानी है, एवं मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त रिट याचिकाओं में 13 प्रतिशपथ पत्र जारी किया जाना अवशेष है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट जो समय सीमा तय की गयी है उसके अन्तर्गत प्रतिशपथ पत्र आदि दाखिल कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिन मामलों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल हो चुके हैं, उन्हें महाधिवक्ता की वेबसाइट पर अद्यावधिक करा दिया जाये। बार-बार कहने के बावजूद रिट के निस्तारण में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। निर्देशित किया गया कि समस्त रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराकर वेबसाइट पर स्थिति शून्य की जाये। यदि प्रतिशपथ पत्र समय से दाखिल नहीं किये गये तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही- प्र0अधि0रिट/समस्त उप जिलाधिकारी/स0अभि0अधि0तहसीलदार/रिट लिपिक)

### खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन-

विभाग द्वारा माह में 197 निरीक्षण किया गया है। विवरण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्थिति सामान्य है। औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि अभियान चलाकर निरीक्षणों में गति लायी जाये तथा प्रभावी ढंग से प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी/अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन)

### विभागीय कार्यवाही-

भूलेख अधिष्ठान के अन्तर्गत श्री राम किशोर श्रीवास्तव र0का0, श्री राजेश कुमार लेखपाल, श्री पंकज कुमार लेखपाल, श्री सन्तोष साहू लेखपाल, श्री मनीष यादव लेखपाल, श्री दिनेश चन्द्र लेखपाल, श्री रामप्यारे लेखपाल, श्री हरि प्रसाद साहू के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित है। लम्बित सभी विभागीय कार्यवाहियों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाये।

(कार्यवाही-अति0मजिस्ट्रेट प्रथम तहसीलदार उन्नाव,/नायब तहसीलदार पुरवा, /ना0तह0 बीघापुर)

### रोस्टर के अनुसार खतौनियों का दाखिला-

सन् 1417 फ0 से 1422 फ0 तक की खतौनियां दाखिल करने का लक्ष्य 273 है। किन्तु अभी तक खतौनियां दाखिल नहीं हो पायी हैं। प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार एवं समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि समयान्तर्गत खतौनियों का दाखिला सुनिश्चित कराया जाये।

(कार्यवाही- प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार/समस्त तहसीलदार)

12

### पत्रावलियों का दाखिला-

जनपद में निर्णीत कुल पत्रावलियों में 3468 पत्रावलियां दाखिला हेतु अवशेष है। समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निस्तारण के एक माह के बाद पत्रावलियां प्रत्येक दशा में तत्काल राजस्व अभिलेखागार में दाखिल करा दी जायें तथा जो पत्रावलियां दाखिला हेतु अवशेष है उनको भी तत्काल दाखिल कराया जाये।

(कार्यवाही-समस्त उपजिलाधिकारी / तहसीलदार / ना0तह0 / डी0डी0सी0 / ब0अधि0चकबन्दी / रा0अभि0रक्षक)

### जनसूचना-

जनसूचना के 155 प्रकरण व अपीलों के 61 प्रकरण लंबित है। निर्देशित किया गया कि इन लंबित प्रकरणों में समय से आवेदको को सूचना देकर लंबित प्रकरण शून्य किया जाये।

(कार्यवाही- समस्त तहसीलदार / सम्बन्धित पटल सहायक)

### एन्टी भू-माफिया

एन्टी भू-माफिया के प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। तहसीलों से भू-माफियाओं से सम्बन्धित शिकायतें आती रहती हैं। समस्त उपजिलाधिकारी भू-माफियाओं को चिन्हित करते हुए कार्यवाही करें।

(कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी / समस्त उपजिलाधिकारी / सम्बन्धित पटल सहायक)

### गंगा एक्सप्रेस -वे-

समीक्षा में पाया गया कि गंगा एक्सप्रेस वे से सम्बन्धित तहसीलों में अवशेष भूमि के निष्पादन एवं निष्पादित बैनामों के प्रतिफल के भुगतान की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों द्वारा एक से दो सप्ताह का समय चाहा गया है। सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि तय समय में कार्यवाही पूर्ण करें।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी / तहसीलदार )

अन्त में बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को उपरोक्तानुसार दिये गये समस्त निर्देशों का अनुपालन गम्भीरता से सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

प्रभारी अधिकारी सं0का0  
कृते जिलाधिकारी, उन्नाव।

### कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव।

संख्या-5338/रा0सहा0 / समीक्षा बैठक कार्यवृत्त

दिनांक 08 सितम्बर 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रेषित करे।

1. नगर मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2. प्रभारी अधिकारी (सं0का0) / नजारत / राजस्व अभिलेखागार / आंग्ल अभिलेखागार / न्याय अभिलेखागार / रिट / जनसूचना / आयुध।
3. समस्त उपजिलाधिकारी / तहसीलदार जनपद उन्नाव।
4. अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम / द्वितीय, उन्नाव।
5. बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं समस्त ए0सी0ओ0 (द्वारा एस0ओ0सी0)।
6. जिला सूचना अधिकारी, उन्नाव।
7. अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उन्नाव।
8. सहायक अभिलेख अधिकारी, उन्नाव।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उन्नाव को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. सम्बन्धित पटल सहायकों यथा सी0आर0ए0, एल0आर0सी0, डी0एल0आर0सी0, सामान्य लिपिक, शिकायत लिपिक, नाजिर सदर, जन सूचना लिपिक, रिट लिपिक को दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।

प्रभारी अधिकारी सं0का0  
कृते जिलाधिकारी, उन्नाव।